Y.XIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक आर.504–दो/03 जिला--टीकमगढ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15–7–15	आवेदक की ओर से कोई उप.नहीं, जबकि पिछली पेशी पर आवेदक अभि. उप. थे किन्तु आज अनुपस्थिति हैं । प्रकरण आदेशार्थ । सदस्य	
5-8-15	प्रकरण का अवलोकन किया । आवेदक अभि. को तीन बार आबाज लगवाई गई, उसके बाद भी कोई उप. नहीं हुआ । विचारोपरान्त प्रकरण आवेदक की अनुपस्थिति में अदम पैरवी में खारिज किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	

20 Rs. COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

23-4-

न्यायालय- श्रीमान ------ राजस्व मंडल, ग्वालियर, (म0प्र0)
= =

R 504-II/03

बाबूलाल तनय सरू कुशवाहा

निवासी- सीतापुर , तह0 निवाडी, जिला टीकमगढ म0प्र0

... अपीलार्थी
निगरानीकर्ता

// विरूद्ध //

किशोरीलाल तनय मुंगाराम कुशवाहा

निवासी- सीतापुर, तह0 निवाडी, जिला टीकमगढ,

... प्रतिनिगराकार

श्री उपाध्याय, अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत 13-3-03 Issue notice to OP. 13-3-03

रा0प्र0क्र0- ता0पेशी-

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा- 50 म0प्र0भू0रा0संहिता 1959.

यह निगरानी न्यायालय श्रीमान कमिश्नर महोदय, संभाग सागर की द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक 250 अ/27/वर्ष 2000-01 पक्षकार बाबूलाल कुशवाहा विरूद्ध किशोरीलाल कुशवाहा में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 24.2.2003 से दुखी होकर श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है :-

निगराकार की ओर से प्रार्थना है :-

(1) यह कि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, ग्राम सीतापुर तह0 निवाडी, जिला टीकमगढ की प्रश्नाधीन भूमि ख0नं0 65, 70, 71, 75, 211 एवं 212 रकबा कुल योग 1.060 हे0 शामिल शरीक निगराकार एवं प्रति निगराकार की राजस्व अभिलेख में दर्ज होने से प्रति निगराकार ने निम्न न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय, ओरछा , तह0 निवाडी, जिला टीकमगढ, के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था , कि खेती करने में असुविधा होती है , इसलिए सरकारी बंटवारा कर दिया जाए , तत्संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर राजस्व प्रकरण क्रमांक-19 अ/27/96-97 में निगराकार / अनावेदक को आहुत किया गया। जिसके संबंध में इस निगराकार ने लिखित में आवेदन पत्र देकर विद्वान

... 2पर